राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(03)/2014–क0सं0 एवं भाषा/2429-2432 दिनांक: 5/6/15

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), टोडापुर, नई दिल्ली।

विषयः हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को केवल हिन्दी में प्रकाशित करवाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 6.8.2012 के परिपत्र संख्या 8(1)/2012/क0सं0एवं0भाषा/1705–8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें इस सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम/ प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय समय–समय पर रिक्त स्थानों को भरने, निविदा सूचना आमंत्रित करने, संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करने, प्रेस नोट, राजकीय समारोहों में आमंत्रित करने, रूचि की अभिव्यक्ति, जलापूर्ति तथा बिजली पूर्ति कटौती करने इत्यादि की जानकारी देने के लिये दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का उल्लेख था और यह परिपत्र विभाग की वेबसाइट में डाला गया था। इनमें अधिकतर विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जहां तक कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में भी ऐसे विज्ञापन अंग्रेजी मे प्रकाशित होते है। अब फिर इस विभाग को हिन्दी की एक अग्रणी संस्था, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अपने पत्र में प्रेस कतरनों सहित इस बारे मे सोदाहरण जानकारी दी है। ऐसा करना राजभाषा नियमावली के नियमों के उपबंधों का घोर उल्लंघन है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि मे विज्ञापन हिन्दी में सुनिश्चत कराने संबंधी अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों विशेषकर जनसूचना अधिकारी के अनुपालनार्थ उन्हें यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 5/6/15
(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(03)/2014–क0सं0 एवं भाषा/ 2433–2444 दिनांक 4/6/15

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके सभी संसदीय सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. सभी भाषा अकादमियों, साहित्य कला परिषद्, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् के केयर टेकिंग शाखा/क्रय शाखा/सूचना एवं प्रचार शाखा को उनके सचिवों के माध्यम से ।
7. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
8. उप–निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों को हिन्दी मे प्रकाशित कराने संबंधी अपनी प्रेस कतरन सेवा के माध्यम से केवल अंग्रेजी में विज्ञापन देने वाले विभागों का पता लगाकर उन्हें सोदाहरण अवगत कराके संबंधित विभाग को अपेक्षित जानकारी सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित।
9. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31, उत्तरी परिसर, रामा कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।
10. सचिव, शिक्षा संस्कृति एवं उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक नारायण विहार, नई दिल्ली–28 को उनके दिनांक 05.2.2015 के पत्रांक शिक्षा सं. उ. न्यास/रा.सा./2/विज्ञापन/2014–15 के संदर्भ में।
11. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को विभागीय वेबसाइट मे डाउनलोड करने के अनुरोध सहित।
12. गार्ड फाइल।

(हस्ताक्षर) 4/6/15

(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)